राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12820/2012

कन्हैया लाल धाकड़ पुत्र श्री बालू जी धाकड़, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी सदारामजी का खेड़ा, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव, खान, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. एस.एम.ई., कोटा क्षेत्र, कोटा।
4. खनन अभियंता-द्वितीय, बूंदी।

----उत्तरदाता

<u>जुड़े हुए</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12819/2012

कन्हैया लाल धाकड़ पुत्र श्री बालू जी धाकड़, उम्र लगभग 69 वर्ष, निवासी सदारामजी का खेड़ा, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव, खान, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. एस.एम.ई., कोटा क्षेत्र, कोटा।
4. खनि अभियंता-द्वितीय, बूंदी।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री अश्वनी चोबीसा

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री राहुल लोढ़ा, एजीसी

(29/05/2025 को दोपहर 12:19:48 बजे डाउनलोड किया गया)

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झींगन

आदेश

02/12/2024

1. इन दोनों याचिकाओं पर इस आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल मुद्दा समान है। सुविधा के लिए, तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12820/2012 से लिए गए हैं।

2. यह याचिका दिनांक 02.05.2006 और 17.12.2009 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिनमें क्रमशः खनन पट्टे की मंजूरी को रद्द करने और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम गोपालपुरा (लक्ष्मीपुरा), तहसील एवं जिला बूंदी के निकट 31250 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। खनन पट्टा अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा क्षेत्र, कोटा (जिसे आगे 'एसएमई' कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 31.12.2004 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात, खनि अभियंता, बूंदी द्वारा दिनांक 25.11.2005 का आदेश पारित किया गया। खनन पट्टे की स्वीकृति दिनांक 07.11.2005 के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई। यह रद्दीकरण जिला कलेक्टर, बूंदी से प्राप्त इस सूचना के आधार पर किया गया था कि खनन पट्टा क्षेत्र से सटे क्षेत्र में जाने के लिए कोई मार्ग नहीं होगा। खनन पट्टे की स्वीकृति रद्द करने के विरुद्ध याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका 17.12.2009 को खारिज कर दी गई थी। अतः, वर्तमान याचिका।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मंजूरी बिना नोटिस जारी किए रद्द कर दी गई है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि नोटिस जारी करना महज औपचारिकता होगी, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के लिए मार्ग की आवश्यकता है।

6. खनन पट्टे की मंजूरी रद्द करने के आदेश के नागरिक परिणाम होंगे। मुख्य सिद्धांत यह है कि नागरिक परिणाम वाले प्रशासनिक कार्यों के लिए भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

7. मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित दिनांक 02.05.2006 के आदेश को निरस्त किया जाता है। मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से तय करने के लिए एसएमई को वापस भेजा

(29/05/2025 को दोपहर 12:19:48 बजे डाउनलोड किया गया)

जाता है।

8. किसी भी और देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से 27.01.2025 को सुबह 11:00 बजे एसएमई के समक्ष उपस्थित होने दें।

9. रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

10. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो गया है।

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत /39-40

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को दोपहर 12:19:48 बजे डाउनलोड किया गया)